भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/06/32/2016/एफ0सी0 1904

दिनांक : 15-3-18

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषयः एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम–निधौली खुर्द के खसरा संख्या– 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक– 2395/एटा/13100/2015, दिनांक– 13.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 14.11.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन का क्षेत्रफल प्रस्तुत करें।
2. उल्लंघन के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी आत्म निहित नोट उपलब्ध करायें।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना उपलब्ध करायी जाए।

भवदीय,

(बृजेन्द स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, यू0पी0 (वेस्ट), एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0 प्र0।
5. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2699 /एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, मार्च 21, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख <u>तीन मूल प्रति में</u> इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख <u>तीन मूल प्रति में</u> वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।